बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं०–पि०व०/छात्रवृति विविध–23/2008– 50

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 21.10.2011

विषयः अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु वार्षिक आय सीमा 44,500/– (चौआलीस हजार पॉच सौ रूपये) से बढ़ाकर 1,00,000/–(एक लाख रूपये) निर्धारित की गयी है।

वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं खासकर मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं/गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का शिक्षण शुल्क काफी अधिक है एवं इनमें एकरूपता भी नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा के प्रति बढ़ते रूझान एवं वार्षिक आय सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में 10+2 एवं ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु बड़ी संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसके कारण केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजनान्तर्गत उपबंधित राशि एवं उपलब्ध राशि से उक्त आय सीमा तक के सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ता स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही है एवं बड़ी संख्या में उक्त आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते है। ऐसी स्थिति में उक्त आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

सम्यक विचारोंपरान्त राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क की राशि की अधिकतम सीमा –	वार्षिक अधिकतम 1,00,000/– (एक लाख रूपये) या देय अनिवार्य शुल्क (दोनो में जो कम हो)

शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में कोर्स के आधार पर दिनांक 01.07.11 से पुनरीक्षित अनुमान्य अनुरक्षण भत्ता देय होगा।

निदेश है कि किसी भी परिस्थिति में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत निर्धारित अधिकतम अधिसीमा रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये) से अधिक राशि की स्वीकृति/भुगतान नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

(रवि परमार) 21/10/11
सरकार के सचिव।